

प्रेस-विज्ञप्ति
थाना कोतवाली

दो नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 23.12.19 को श्रीमती सुषमा राय पत्नी पंकज कुमार राय निवासी गोठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 412/19 धारा 419/420/467/468/471/504/506/427 भादवि बनाम वरुण कुमार राय पुत्र सुरेश राम निवासी अवती पहलवानपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ आदि 3 नफर पंजीकृत के पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी (नगर) श्री सिद्धार्थ तोमर के कुशल निर्देशन में दिनांक 11.09.2021 को उ0नि0 कमलनयन दूबे चौकी प्रभारी बलरामपुर मय राह का0 बिन्देश, का0 इन्द्रजीत, का0 अरुण पाण्डेय के साथ क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मु0अ0सं0 412/19 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त हाफिजपुर चौराहे पर खड़े हैं। इस सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 कमल नयन दूबे मय राह द्वारा हाफिजपुर चौराहे पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. अरुण कुमार राय पुत्र सुरेश राय निवासी अवती पहलवानपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़, 2. सत्यराम सिंह पुत्र स्व0 किशोर सिंह सा0 इटौरा दयाल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की गयी।

सम्बन्धित अभियोग

मु0अ0सं0 412/19 धारा 419/420/467/468/471/504/506/427 भादवि

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. अरुण कुमार राय पुत्र सुरेश राय निवासी अवती पहलवानपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़
2. सत्यराम सिंह पुत्र स्व0 किशोर सिंह सा0 इटौरा दयाल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ हाल पता पुरानी बाजार पूर्वी नानपारा थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ0नि0 कमलनयन दूबे चौकी प्रभारी बलरामपुर मय राह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

थाना कोतवाली

एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 07.03.21 को श्री राम यादव पुत्र सतिराम निवासी ग्राम हाफिजपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ के शिकायत के आधार पर मु0अ0सं0- 74/21 धारा 363,366 भादवि बनाम शाबीर पुत्र सारिफ निवासी डी.ए.वी. काशीराम आवास कोतवाली आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी (नगर) श्री सिद्धार्थ तोमर के कुशल निर्देशन में दिनांक 11.09.2021 को उ0नि0 कमलनयन दूबे चौकी प्रभारी बलरामपुर मय राह कां0 अरुण पाण्डेय के साथ क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मु0अ0सं0-74/21 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रोडवेज बस स्टैण्ड पर कहीं जाने के फिराक में खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा रोडवेज बस स्टैण्ड पर पहुंचकर वांछित अभियुक्त शाबीर पुत्र मो0 सादिक निवासी मोहल्ला जालन्धरी थाना कोतवाली आजमगढ़ को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

सम्बन्धित अभियोग

मु0अ0सं0 74/21 धारा 363/366/376 भादवि, 3 /4 पाक्सो एक्ट, 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अध्यादेश थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

शाबीर पुत्र मो0 सादिक निवासी मोहल्ला जालन्धरी थाना कोतवाली आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ0नि0 कमलनयन दूबे चौकी प्रभारी बलरामपुर मय राह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

थाना बिलरियागंज

05 लीटर कच्ची शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शराब की बरामदगी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी जनपद आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में दिनांक 11.09.2021 को उ0नि0 ओमप्रकाश यादव थाना बिलरियागंज मय राह द्वारा वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जैगहा बाजार में मौजूद थे कि मुखबिर सूचना पर एक व्यक्ति को प्लास्टिक की पिपिया में पांच लीटर कच्ची शराब के साथ जगमलपुर मोड़ के पास घेरघार कर समय 14.34 पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते पर अपना नाम हरिश्चन्द्र पुत्र घुरवीनराम निवासी हारीपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बताया। अभि0 हरिश्चन्द्र से कच्ची शराब रखने का अधिकार पत्र माँगा गया तो अपनी गलती की माँफी मांगने लगा। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 149/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

हरिश्चन्द्र पुत्र घुरवीनराम निवासी हारीपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 149/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम हरिश्चन्द्र पुत्र घुरवीनराम निवासी हारीपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी

05 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1. उ0नि0 ओमप्रकाश यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. का0 मन्टू शाह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. का0 तेजबहादुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना जहानागंज

1 किलो 630 ग्राम अवैध गाँजा के साथ एक गिरफ्तार

आज दिनांक 11/12.09.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के आदेश के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में वांछित वारण्टी की गिरफ्तारी के चलाये गये अभियान के क्रम में मु0अ0सं0 199/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त महताब आलम पुत्र स्व0 शमीम मो0 इस्लामपुरा बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को दिनांक 11.9.2021 को समय 21.20 बजे ग्राम बनकटा मुस्तफाबाद भुजही मोड़ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण:- अभियुक्त महताब आलम पुत्र स्व0 शमीम मो0 इस्लामपुरा बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ पूछ-ताछ पर बता रहा है कि साहब मुझे एक अज्ञात व्यक्ति ने यह अवैध गाजा चिरैयाकोट जनपद मऊ ने मुझे मे दिया था जिसे बेच कर अपना जीविकोपार्जन करता हूँ। लेकिन साहब आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया साहब अब दुबारा यह गलत काम नहीं करुंगा इस बार माफ कर दीजिए भविष्य में दुबारा गलती नहीं करुंगा।

पंजीकृत अभियोग:-

1- मु0अ0सं0 199/2021 धारा 8/20 एडीपीएस एक्ट, थाना-जहानागंज, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:-

महताब आलम पुत्र स्व0 शमीम मो0 इस्लामपुरा बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

- 1- मु0अ0सं0 42/20 धारा 457/380 भादवि
- 2- मु0अ0सं0 240/20 धारा 307 भादवि
- 3- मु0अ0सं0 241/20 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट
- 4- 199/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट

बरामदगी:-

1- 1 किलो 630 ग्राम गाँजा बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- महताब आलम पुत्र स्व0 शमीम मो0 इस्लामपुरा बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1- प्र0नि0 अखिलेश कुमार मिश्र मय राह थाना जहानागंज, आजमगढ़।
- 2- उ0नि0 संतोष कुमार थाना जहानागंज, आजमगढ़।
- 3- हे0का0 प्रमोद यादव थाना जहानागंज, आजमगढ़।

थाना अतरौलिया

गोवध अधिनियम में दो गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित , इनामिया, गोवध, अवैध शराब बिक्री के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीणश्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर श्री गोपाल स्वरूप बाजपेयीव प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील चन्द्र तिवारी अतरौलिया आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 12.09.21 को उ0नि0 सुल्तान सिंह मय राह उ0नि0 गोपाल जी , का0 सर्वेश यादव , का0 मुन्दन कुमार के देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अभियुक्त में मामूर थे कि मुखबिर की सूचना पर मय राह के रवाना होकर बूढ़नपुर चौराहा पहुंचे तो पुलिस वालों को देख कर अभियुक्तगण हड़बड़ा कर भागना चाहे कि पुलिस वालों द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग कर घेर घार कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये अभियुक्तों का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम 1. मो0 रफीक पुत्र स्व0 जलील अद निवासी ग्राम इमामगंज हसनपुर थाना बंधुआकला जनपद सुल्तानपुर उम्र 43 वर्ष 2. असगर पुत्र शुक्रउल्ला निवासी ग्राम इमामगंज हसनपुर थाना बंधुआकला जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 44 वर्ष बताया। अभियुक्तगण उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी मु0अ0सं0 17/21 धारा 3/5 A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 व धारा 429 IPC बता कर समय करीब 10.30 बजे हिरासत पुलिस कब्जे में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 17/21 धारा 3/5 A/8 गोवध निवारण अधिनियम 1955 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 व धारा 429 IPC थाना अतरौलिया

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मो0 रफीक पुत्र स्व0 जलील अद निवासी ग्राम इमामगंज हसनपुर थाना बंधुआकला जनपद सुल्तानपुर
2. असगर पुत्र शुक्रउल्ला निवासी ग्राम इमामगंज हसनपुर थाना बंधुआकला जनपद सुल्तानपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. उ0नि0 सुल्तान सिंह थाना अतरौलिया आजमगढ़
2. उ0नि0 गोपाल जी थाना अतरौलिया आजमगढ़
3. का0 सर्वेश यादव थाना अतरौलिया आजमगढ़
4. का0 मुन्दन कुमार थाना अतरौलिया आजमगढ़

थाना सिधारी

अवैध तमंचा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे जनपद मे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान व अवैध शराब माफियों की गिरफ्तारी व सघन चैकिंग/वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय के निर्देश पर उ0नि0 मिथलेश कुमार उ0नि0 मिथलेश कुमार मय हमराह थाना स्थानीय से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र शान्ति ब्यवस्ता में छतवारा चौराहा पर मामूर थे कि जरिये मुखवीर सूचना मिली की मु0अ0सं0 237/21 धारा 41/411/413/419/420/467/468/471 भादवि से संबंधित अभि0 पैदल हुसेनगंज की तरफ से ग्राम सरायसादी के तरफ आ रहा जो तमंचा व कारतूस लिया हुआ है। यदि जल्दी करेगे तो पकड़ा जा सकता है। मुखवीर की बात का विश्वास करके मुखवीर को साथ लेकर अपने अपने मोटरसाईकिल से सरायसादी आकर अपनी अपनी मोटरसाईकिल आड़ में खड़ाकर पुलिस वाले आड़ में छिपकर आने वाले ब्यक्ति का इन्तजार किया जाने लगा कि थोड़ी देर बाद एक ब्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया कि मुखवीर ने इशारा करके बताया कि साहब वही है जो आ रहा है और हट बढ़ गया कि पुलिस द्वारा एक बारगी सड़क पर आकर आ रहा ब्यक्ति को रोका टोका गया तो हम पुलिस वालो को देखकर भागना चाहा कि हम पुलिस वाले घेरकर विना भागे मौका दिये पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से पास से एक अदद कट्टा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ पकड़े गये अभि0 को मु0अ0सं0 237/21 धारा 41/411/413/419/420/467/468/471 भादवि व धारा 3/25 आयुध अधि0 का बोध कराकर समय 13.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभि0 पूछताछ पर अपने जुर्म को स्वाकीर करते हुए बार बार अपनी गलती पर माफी मांग रहा है।
पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 223/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 237/31 धारा 41/411/413/419/420/467/468/471 भादवि

मु0अ0सं0 223/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 0182/19 धार 379 /411 भादवि थाना देवगाँव

गिरफ्तार अभियुक्त

विपुल यादव पुत्र रमेश यादव सा0 शाहकुन्दनपुर थाना रानी की सराय आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष

बरामदगी

1. एक अदद तमंचा 12 बोर

2. एक अदद जिन्दा कारतुस 12 बोर

गिरफ्तार /बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना सिधारी आजमगढ़

उ0नि0 मिथलेश कुमार थाना सिधारी आजमगढ़

का0 मनीष यादव जनपद आजमगढ़

का0 अजय गौड़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

बरामदगी ताश के 52 पत्ते मालफड़ 660 रु0 व जामा तलाशी 340 रु0 व गिरफ्तारी 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, जनपद आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी जनपद आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 ओमप्रकाश यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ आज दिनांक 12.09.2021 को मय फोर्स के तहत तलाश वांछित/वारण्टी अपराधी रोकथाम जूर्म जरायम के श्रीनगर सियरहा बाजार मे मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की सियरहा सुदामा यादव के भट्टा के पास सार्वजनिक स्थान पर तीन व्यक्ति हार- जीत की बाजी लगाते हुए ताश के पत्ते से जुआ खेल रहे है यदि जल्दी किया जाये तो मिल सकते है। इस सूचना पर विश्वास करके मय हमराह कर्म0गण को मकसद बताते हुए मय मुखबिर के बताए हुए स्थान पहुँचे तो तीन व्यक्ति आपस में ताश के पत्ते से हार जीत की बाजी लगाते हुए एक कपडे पर तास के पत्ते को रखकर खेलते हुए दिखाई दिये कि पुलिस वाले एक वारगी धावा बोलकर मौक पर घेरकर तीनों व्यक्तियों को पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्तियों का नाम पता पुछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम अमित कुमार पुत्र हरेन्द्र राम सा0 झूसी (वसीला) थाना बिलरियागंज आजमगढ़ बताया जामा तलाशी से उसके शर्ट के उपरी जेब से 120 रुपये बरामद हुए। दूसरे ने अपना नाम सोनू कुमार पुत्र बिन्दुराम सा0 सियरहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बताया जामा तलाशी से शर्ट के उपरी जेब से 120 रुपये बरामद हुये। तिसरे ने अपना नाम जयप्रकाश पुत्र फुलचन्द सा0 सियरहा थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ बताया जामा तलाशी से उसके पहने हुए पैन्ट के दाहिने जेब से 100 रुपये बरामद हुए। मौके पर माल फड़ एक सफेद कपडे के उपर ताश के 52 पत्ते व 660 रु0 नोट बरामद हुये। पकडे गये व्यक्तियों से सार्वजनिक स्थान पर हार जीत की बाजी लगाते हुए ताश से जुआ खेलने के सम्बन्ध मे पूछने पर अपनी गलती का बार- बार माँफी मांगने लगे। अभियुक्त गण उपरोक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 13 जुआ अधिनियम का पाकर बताकर समय करीब 10.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रहा है।

अभियुक्तगण का नाम व पता

अमित कुमार पुत्र हरेन्द्र राम सा0 झूसी (वसीला) थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

सोनू कुमार पुत्र बिन्दुराम सा0 सियरहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

जयप्रकाश पुत्र फुलचन्द सा0 सियरहा थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 152/2021 धारा 13 जुआ अधिनियम बनाम 1. अमित कुमार पुत्र हरेन्द्र राम सा0 झूसी (वसीला) थाना बिलरियागंज आजमगढ़ 2. सोनू कुमार पुत्र बिन्दुराम सा0 सियरहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 3. जयप्रकाश पुत्र फुलचन्द सा0 सियरहा थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

बरामदगी ताश के 52 पत्ते मालफड़ 660 रु0 व जामा तलाशी 340 रु

गिरफ्तारी स्थान

श्रीनगर सियरहां

पूछताछ विवरण:-

अभियुक्त द्वारा अपनी गलती की माँफी मांगते हुए बार बार माँफी मांग रहे है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 ओमप्रकाश यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

2. HC गोविन्द यादव र थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

3. का0 रविन्द्र यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

4. का0 नितिन कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

5. का0 मन्टू शाह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।